5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. भारत पाँच रुपये
5रु. भारत पाँच रुपये
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(22)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर,केंप सागर

श्रीमती जनकरानी पति स्व0करोडीलाल पटैल रि0 - 457 - I - 17
निवासी रजाखेडी सागर,
तह0व जिला-सागर(म0प्र0) **............आवेदका**

//बनाम//

1.श्रीमती उमादेवी पत्नि स्व0 अवधेश सक्सेना
निवासी दीनदयाल नगर मकरोनियाँ, सागर
तह0व जिला-सागर(म0प्र0) **...........अनावेदक**

आवेदन-पत्र अंतर्गत् धारा 151व्य0प्र0संहिता

आवेदिका निम्न प्रार्थना करती हैः-

1. यह कि, आवेदिका ने माननीय न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सागर के प्र0क्र046अ/6/15-16 में पारित आदेश दिनाँक 12.04.2016 के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनाँक 04.10.2016 को विधिवत् आदेश पारित किया था। आदेश की छायाप्रति श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न है।

2. यह कि, श्रीमान् न्यायालय के प्र0क्र03458-I/16 में पारित आदेश 04.10.16 के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कि जिन्होंने दिनाँक 09.01.2017 को आदेश पारित करते हुये श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 04.10.16 को निरस्त करते हुये पुनः उभय पक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुये गुण-दोषों पर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किये जाने का आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन नंबर18460/2016 में पारित आदेश दिनाँक 09.01.2017 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट पिटीशन क्र018460/2016 में पारित आदेश दिनाँक 09.01.2017 के परिपालन में श्रीमान् न्यायालय प्र0क्र03458-I/16 को पुनः खोलते हुये अनावेदिका को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुये गुण-दोषों पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

सागर **द्वारा-दिलीप गोस्वामी (म0प्र0)**
दिनाँक 01.02.2017 **हेतु-आवेदिका**

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु–457–एक/17 जिला – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.11.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप पासी उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क. 3458–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीसन कमांक 18460/2016 पेश की गई थी, जिसमें माननीयय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2017 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रत्यावर्तित किया गया है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में निगरानी प्रकरण कमां 3458–एक/16 को पुनः खोलने हेतु आवेदन दिया गया था, किंतु त्रुटिबस इस आवेदन पर से यह रिव्यु प्रकरण दर्ज हो गया है, जिसे समाप्त किया जाकर मूल निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर कार्यवाही की जाए। 2/ आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक के तर्कों से सहमत होते हुए यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मूल प्रकरण में संलग्न किए जाएं। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	